21/12/20

अभि० प्रार्थीगण उप० सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक होना जाहिर है अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा हो चुकी है। तो जा० पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर कार्यवाही पश्चात निष्पादित आदेश दि० 27/4/2015 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। हुक्म खुले न्यायालय में सुनाया गया। सं लग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)